न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला) ।

आदेश फलक

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 07/2020

प्रथम पक्षः– **सुकरा उरांव वगैरह**

बनाम

द्वितीय पक्षः– **झारखण्ड सरकार......उत्तरवादी**

आदेश का क्रमांक एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	3
1 19/1/21	(see below)	

प्रस्तुत वाद सुकरा उरांव, पिता लखन उरांव, ग्राम लुंगटु, थाना बसिया, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 101 R27/ 2018-19 में अंचल अधिकारी, बसिया के न्यायालय में दिनांक–03.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। वादगत् भूमि का विवरणीः–

मौजा/थाना नं0	**खाता**	**प्लॉट**	**रकबा**
बसिया/148	**86**	**403**	**2.03 एकड़**
		कुल रकबा	**2.03 एकड़**

अपीलकर्त्ता को सूनकर सुनवाई हेतु इस अपीलवाद को ग्रहण किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक द्वारा इस वाद में सर्मित निम्न न्यायालय का दाखिल खारिज वाद संख्या–101 R27/ 2018-19 दिनांक–03.08.2019 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदनानुसार ओवदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण आवेदक द्वारा अपने दाखिल खारिज आवेदन में जमाबंदी पंजी 2 में प्लॉट दर्ज नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ कर नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–644(ii), दिनांक–23.11.2020 के द्वारा मांग किया गया।
अभिलेख प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता नोटिस प्राप्त कर अपने विद्ववान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं वाद की सुनवाई क दौरान अपीलार्थी का कहना है कि निम्न भूमि विवरणीः–

मौजा/थाना नं0	**खाता**	**प्लॉट**	**रकबा**
बसिया/148	**86**	**403**	**2.03 एकड़**
		कुल रकबा	**2.03 एकड़**

भूमि सुधार उपसमाहर्ता बसिया, (गुमला)

कुल रकबा 2.03 एकड़ भूमि खाता सं0 86 की वादगत् जमीन किनु पाईक वो महाबीर पाईक की खतियानी जमीन है। इनके उत्तराधिकारी उसपर सरकार को निर्बाध रूप से मालगुजारी देते हुए दखलकार रहे है। उपरोक्त भूमि का पंजीकरण 06.09.1967 को निबंधन पदाधिकारी, रांची द्वारा निबंधित पट्टा सं0 196/290 से हो चुका है। भूमि विवाद रहित है तथा क्रेता के दखल कब्जा में है। दाखिल खारिज में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन अंचल अधिकारी बसिया के न्यायालय में दाखिल किया जिसका वाद सं0 101 R27/2018-19 है। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, बसिया अंचल निरीक्षक व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत के कारण आवेदक द्वारा अपने दाखिल खारिज ओवदन में जमाबंदी पंजी 2 में प्लॉट दर्ज नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक द्वारा नामान्तरण ओवदन में जमाबंदी पंजी 2 में प्लॉट दर्ज नहीं होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया जिसके कारण अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 101 R27/2018-19 को अस्वीकृत किया है। अंचल अधिकारी, बसिया को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि से संबंधित अपीलकर्त्ता/आवेदक को पर्याप्त अवसर देकर सुनते हुए तथा उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी जॉच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ एवं लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बसिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बसिया।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 15:06:52 +05:30
Location: 192.168.1.10